



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127693

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5692/2025

अमरजीत

..... पुनरीक्षणयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणयाची(गण) के अधिवक्ता

: जितेंद्र कुमार

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., राजेश कुमार

सुनवाई की तारीख 24.04.2026

निर्णय की तारीख 17.06.2026

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार, प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राजेश कुमार और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणयाची ने आपराधिक विविध मामले संख्या 84/2020 (श्रीमती हेमलता बनाम अमरजीत) अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. में अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2025 को चुनौती दी है, जिसमें प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें 5,000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण के साथ-साथ बकाया राशि का किस्तों में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
3. पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आक्षेपित निर्णय अवैध है और अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिपक्षी सं. 2 ने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ दिया था और बिना किसी पर्याप्त कारण के कई वर्षों से अलग रह रही थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षणयाची मात्र एक मजदूर है, उसकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, वह बीमारियों से ग्रस्त है और उस पर अपने बच्चों, दूसरी पत्नी और वृद्ध माता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भरण-पोषण का बोझ है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 स्वतंत्र रूप से कमा रही है और इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। पुनरीक्षणयाची ने उसके आचरण के संबंध में भी कुछ आरोप लगाए हैं।

4. इसके विपरीत, प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पारिवारिक न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर उचित विचार करने के बाद सही निष्कर्ष निकाला है कि पुनरीक्षणयाची के आचरण के कारण प्रतिपक्षी संख्या 2 को अलग रहने के लिए विवश होना पड़ा और उसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

5. दोनों पक्षों के बीच पति-पत्नी का संबंध निर्विवाद है। यह भी विवादित नहीं है कि विवाह 17.06.2003 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और इस विवाह से तीन बच्चे पैदा हुए थे। विचारणीय प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या प्रतिपक्षी संख्या 2 पर्याप्त कारण के बिना अलग रह रहा था और क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए भरण-पोषण में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना उचित है।

6. रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दहेज की मांग के कारण लगातार उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाया और आगे आरोप लगाया कि अंततः उसे ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पारिवारिक न्यायालय ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक गवाही पर विचार करने के बाद, प्रतिपक्षी संख्या 2 के कथन को स्वीकार किया और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वह पर्याप्त और उचित कारणों से अलग रह रही थी। दूसरी ओर, पुनरीक्षणयाची ने अलगाव का कारण प्रतिपक्षी संख्या 2 के कथित आचरण को बताया और दावा किया कि उसने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा था। हालांकि, आरोपों के अलावा, इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया।

7. यह साबित करने का भार कि पत्नी ने पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहना छोड़ दिया था, पति पर था। पारिवारिक न्यायालय ने पाया है कि पुनरीक्षणयाची द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 2 के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय दस्तावेजी सबूत या स्वतंत्र गवाही पेश नहीं की गई है। इस पहलू पर पारिवारिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निष्कर्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं और इस न्यायालय के समक्ष इसमें कोई विकृति प्रदर्शित नहीं की गई है।

8. प्रतिपक्षी संख्या 2 के स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम होने का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि वह कभी-कभार संविदात्मक कार्य करती है और थोड़ी-बहुत आय अर्जित करती है जो उसके भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त है। पारिवारिक न्यायालय ने यह सही कहा है कि ऐसी कम आय को भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता।

9. **चतुर्भुज बनाम सीता बाई, (2008) 2 एससीसी 316** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि "स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ" अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि भरण-पोषण का दावा करने से पहले पत्नी का पूर्णतः निर्धन होना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य निर्धनता और बेघरपन को रोकना तथा उपेक्षित पत्नी को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। इसी प्रकार, **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना, (2015) 6 एससीसी 353** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भरण-पोषण कार्यवाही का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश न हो।

10. पुनरीक्षणयाची ने प्रतिपक्षी संख्या 2 पर दुराचार और अवैध संबंधों का आरोप लगाकर भरण-पोषण से इनकार करने की भी मांग की है। पारिवारिक न्यायालय ने यह दर्ज किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 के पुनर्विवाह या उसके व्यभिचार में रहने को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। मात्र आरोप, चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हों, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते। स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में, पारिवारिक न्यायालय ने इन आरोपों पर कार्रवाई करने से उचित रूप से इनकार कर दिया।

11. पुनरीक्षणयाची की वित्तीय क्षमता के संबंध में, पारिवारिक न्यायालय ने उसके स्वयं के कथन में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाईं। पुनरीक्षणयाची ने मामूली आय अर्जित करने वाले मजदूर होने का दावा करते हुए, साथ ही कृषि भूमि, खनन अनुबंध और ट्रैक्टर के किराये से संबंधित गतिविधियों का भी खुलासा किया। अतः पारिवारिक न्यायालय ने पुनरीक्षणयाची द्वारा बताई गई आय को अक्षरशः स्वीकार करना असुरक्षित पाया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. परिवार न्यायालय ने अंततः पुनरीक्षणयाची की आय का आकलन रुढ़िवादी आधार पर किया और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में उसकी आय क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे लगभग 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया। न्यायालय ने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उसके दायित्वों पर भी विचार किया और उसके बाद प्रतिपक्षी संख्या 2 को केवल 5,000 रुपये प्रति माह का भरण-पोषण प्रदान किया।

13. **शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015) 5 एससीसी 705** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि एक सक्षम पति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के वैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता और भरण-पोषण इस प्रकार दिया जाना चाहिए जिससे पत्नी गरिमापूर्ण जीवन जी सके। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई राशि को अत्यधिक, मनमाना या असंगत नहीं कहा जा सकता।

14. यह सर्वविदित है कि पुनरीक्षण न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष विकृत, पूरी तरह से अनुचित या स्पष्ट रूप से अवैध साबित न हों। वर्तमान मामले में पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित हैं और न तो विकृत हैं और न ही कानून के विपरीत हैं।

15. अभिलेख में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, इस न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों को लागू किया है। कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, विकृति या महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं पाई गई है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना उचित हो।

16. परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई मेरिट नहीं है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

17 जून, 2026

सचिन मिश्रा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।